>

Title: Need to provide employment and compensation to the dependents of deceased employees of ECL and BCCL of Central Coal Fields Limited.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, सैंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ईसीएल एवं बीसीसीएल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों और विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी एवं मुआवजा का मामला वर्षों से लंबित है। इसी प्रकार कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए धारा 28 बना था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया। इसके बावजूद जो कर्मचारी बर्खास्त हो गए थे उनको नियम निरस्त के बावजूद नौकरी नहीं दी जाती।

प्रबन्धन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उम्र, रिश्ता, नाम में अन्तर आदि कारणों से नियुक्ति का मामला निरस्त कर दिया जाता है जबकि एनसीडबल्यू में पुत्री, दामाद किसी को भी नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसी प्रकार निरक्षर मजदूर एवं कर्मचारी अपना नाम किसी दूसरे से लिखवाते थे, नाम लिखने वाला सेवा पुस्तिका, सीएमपीएफ अन्य अभिलेखों में अलग-अलग नाम लिख देते थे। इसमें निरक्षर मजदूर का क्या दोष है? इसमें प्रबन्धन को नाम सत्यापन कर मृतक मजदूर के आश्रित को नौकरी देना चाहिए लेकिन ऐसे मामले में नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अतः सरकार से आग्रह है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को एवं विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति और मुआवजा का भुगतान एक निर्धारित सीमा के अन्दर किया जाए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः रामजीलाल सुमन जी, मैं 377 के बाद आपको बोलने का चांस दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आपने सुबह यह मामला उठाया। पहले क्वश्चन आवर में उठाया, फिर जीरो आवर में उठाया। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। सरकार ने कहा कि वह कल वक्तव्य देगी। इस बीच हम क्या कर सकते हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अभी शून्यकाल नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप अखबार रखिए। इसके बाद बात करेंगे।